



पत्र संख्या-प0 नि0 30-226/2021- 3247

प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),

पटना, दिनांक-24 अगस्त, 2021

विषय:- पंचायत आम निर्वाचन, 2021 : मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति के संबंध में।
प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक 2910 दिनांक 13.04.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया संदर्भ किया जाये। विदित हो कि उक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से बिहार पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के क्रम में मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति से संबंधित निदेश निर्गत किया गया था, जो इस आम चुनाव में प्रभावी होगा। प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न की जा रही है।

अनु:- यथाउपर्युक्त।

विश्वासभाजन,


सचिव।

ज्ञाप संख्या प0नि0-30-226/2021 3247

दिनांक:- 24 अगस्त, 2021

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव।

ज्ञाप संख्या प0नि0-30-226/2021 3247

दिनांक:- 24 अगस्त, 2021

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव।

ज्ञाप संख्या प0नि0-30-226/2021 3247

दिनांक:- 24 अगस्त, 2021

प्रतिलिपि- आई.टी. मैनेजर को आयोग के बेवसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।


सचिव।

अत्यावश्यक
पंचायत आम चुनाव, 2016



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या-प0 नि0 30-40/2015- 2910

प्रेषक,

दुर्गेश नन्दन,
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),

पटना, दिनांक- 13 अप्रैल, 2016

विषय:- पंचायत आम निर्वाचन, 2016 : मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति के संबंध में।
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कतिपय जिलों से अभ्यर्थियों/उनके निर्वाचन अभिकर्ता/निर्वाचन से संबंधित पदाधिकारियों द्वारा यह पूछा की जा रही है कि मतदान अभिकर्ता किस व्यक्ति को बनाया जाय : यथा जिनका नाम संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में दर्ज है, या संबंधित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज है अथवा संबंधित जिला परिषद के प्रा0 नि0 क्षे0 की मतदाता सूची में दर्ज है।

2. बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 46 में मतदान अभिकर्ता का प्रावधान किया गया है, किन्तु यह उल्लेख नहीं है कि मतदान अभिकर्ता किसे बनाया जाना है। उक्त नियम में यह उल्लेख है कि निर्वाचन लड़ने वाला कोई भी अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता प्रत्येक मतदान केन्द्र पर ऐसे अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये अधिकतम दो अभिकर्ताओं को नियुक्त कर सकेगा।

3. उक्त तथ्यों की आयोग स्तर पर समीक्षा की गयी। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति के संबंध में आयोग द्वारा निम्न निदेश दिये गये हैं

(1) जिला परिषद क्षेत्र/ग्राम पंचायत मुखिया/ग्राम कचहरी सरपंच के अभ्यर्थियों द्वारा जिस मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किया जायेगा वैसे मतदान अभिकर्ता का नाम संबंधित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य होगा। नियुक्त मतदान अभिकर्ता द्वारा पीठासीन पदाधिकारी को संबंधित ग्राम पंचायत के मतदाता सूची की प्रति का अवलोकन कराया जायेगा जहां की मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज है तत्पश्चात पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मतदान अभिकर्ता के रूप में उनका नाम स्वीकार किया जायेगा।

(2) पंचायत समिति प्रा0 नि0 क्षेत्र के अभ्यर्थियों द्वारा जिस मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किया जायेगा वैसे मतदान अभिकर्ता का नाम पंचायत समिति के संबंधित प्रा0 नि0 क्षेत्र के मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य होगा। नियुक्त मतदान अभिकर्ता द्वारा पीठासीन पदाधिकारी को पंचायत समिति के संबंधित प्रा0 नि0 क्षेत्र के मतदाता सूची की प्रति का अवलोकन कराया जायेगा जहां की मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज है तत्पश्चात पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मतदान अभिकर्ता के रूप में उनका नाम स्वीकार किया जायेगा।

(3) ग्राम पंचायत के सदस्य/ग्राम कचहरी पंच के अभ्यर्थियों द्वारा जिस मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किया जायेगा उनका नाम उस ग्राम पंचायत के सदस्य/ग्राम कचहरी पंच के प्रा0 नि0 क्षेत्र की मतदाता सूची में होना आवश्यक है।

4. अनुरोध है कि इसकी जानकारी से सभी संबंधित को अवगत करा दिया जाय। निर्वाची पदाधिकारी सभी पीठासीन पदाधिकारियों को आयोग के निर्णय से अवगत करा देंगे।

विश्वासभाजन,

सचिव।